

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी- डॉ एस.पी.सिंह (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या- 28/2018

बउनवान

**सुखदेव आयु 65 साल पुत्र श्री किशन जाति-गुर्जर निवासी-भटवाडा
तहसील-मोंगरोल जिला-बारां**

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार,मोंगरोल

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम,1956

**उपस्थिति :-1. श्री बृजराज किशोर शर्मा, अभिभाषक
2. परोकार सरकार**

**(अपीलांट)
(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक - 19.11.2018

अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मोंगरोल के आदेश दिनांक 25.01.2018 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम-भटवाडा, तहसील-मोंगरोल की आराजी खसरा नम्बर 197 रकबा 0.20 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिकमी मानकर 320/-रुपये अर्थदण्ड एवं तीन माह के विधिवत कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड व तथ्यों के विपरीत निर्णय देने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई के लिए अनुत्तर करने का कोई अवसर नहीं मिला है। अपीलांट का पत्रावली पर कब्जा नहीं और ना ही उक्त प्रकरण में उसे विधिवत सुनवाई के लिए मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.01.2018 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण को सुनवाई किया जाकर रेस्पोंडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय में अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक पत्रावली पर कब्जा छोड़ दिया। सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाब देही का कोई अवसर नहीं देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी पर कब्जा छोड़ दिया है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। तलाश के जमा करा दी है। अपीलांट भविष्य में उक्त आराजी पर कभी अतिक्रमण करने के लिये वचनबद्ध है।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये आदेश पारित किया गया है। अपीलांत प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांत को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत के विरुद्ध निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.01.2018 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोंकार सरकार ने अपीलांत के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांत विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 53/17 निर्णय दिनांक 24.03.2017 में भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांत व पेरोंकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांत को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांत का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है व भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांत के प्रति सहानुभूति का रख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मोंगरोल द्वारा जारी एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय संख्या 34/18 में पारित निर्णय दिनांक 25.01.2018 दी गयी सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांत विवादित आराजी तथा तहसीलदार, मोंगरोल के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अपील कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे व तहसीलदार, मोंगरोल कब्जा छोड़ने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मोंगरोल निर्णय दिनांक 25.01.2018 से दी गयी सिविल कारावास की सजा को अन्वयथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मोंगरोल द्वारा पारित निर्णय यथावत रहेगा।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

(डॉ० अशोक सिंह)
जिला मजिस्ट्रेट, बारां
बारां (उ००)

सुनाया गया।